FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• बृजराज सिंह पुत्र मोड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज।
–प्रार्थी

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।
–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 131,136 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 07/2023
ऑनलाइन नंबर 2023/...91....

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.03.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण में सलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.03.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई	
24/3/2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/अप्रार्थी नं. 01 के तामिलशुदा सम्मन प्राप्त हो गया है। वास्ते जवाब सरकार पत्रावली दिनांक 06/4/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06/4/23	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / जवाब.......हेतु समय चाहा/वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 21/4/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराँई	
21/4/2023	पत्रावली पेश हुई। पीओ साहब प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दिनांक 21/7/2023 को पेश हो।	

...पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...30/7/25 को पेश हो।

30/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..........
दिनांक 25/7/25 को पेश हो।

25/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार अरांई से संशोधित मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। PO साहब राजकार्य से बाहर होने से पत्रावली दिनांक 30/7/25 को पेश हो।

30/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 7/2023

बृजराजसिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

1. बृजराजसिंह पुत्र मोडसिंह
2. शिवराजसिंह पुत्र मोडसिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज०

—प्रार्थीगण

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

आदेश दिनांक 30/7/2025

1. संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री अशोक शर्मा ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि कालानाडा तहसील अराई में स्थित है जिसके वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 259 के खसरा संख्या 601, 602,603,605,606,607,608,609,610,611,612 कुल किता 11 का कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर है । जो प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है । तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है । प्रार्थीगण उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का वर्तमान नक्शा सम्वत 2027 के नक्शे से भिन्न है तथा खसरा नम्बर के रकबे क्षेत्रफल में कम आ रहे है । प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान की सम्वत 2027 के नक्शे में जो रकबा दर्ज है व सही है तथा वर्तमान नक्शे में भूलवश एवं त्रुटिवश सहवन से रकबा गलत दर्ज हो गया तथा नक्शे की सीमाए छोटी कर दी गई है । प्रार्थीगण अपने पूर्व में सम्वत 2027 के नक्शे के अनुसार ही वर्तमान मे काबिज काश्त हैं तथा उसी के अनुरूप तरमीम शुद्धि करवाना चाहतें हैं। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम कालानाडा तहसील अराई के खाता संख्या नया 259 के खसरा संख्या 601, 602,603,605,606,607,608,609,610,611,612 कुल किता 11 का कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर की सम्वत 2027 के नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि करने के आदेश तहसीलदार अरांई को प्रदान करें।
2. प्रकरण को दिनांक 22.3.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 7/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.10.2023 को तहसीलदार अरांई का जवाब पेश हुआ जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा उल्लेख किया गया कि वाद के पैरा सँख्या 1 के कथन कालानाडा के खाता संख्या 259 ख.न. 601, 602, 603,605, 606,607, 608,609, 610,611, 612 कुल किला 11 रकवा 15.6541 हैक्टेयर पर वृजराजसिंह, शिवराजसिंह पुत्रगण मोडसिंह जाति राजपूत निवासी कालानाडा के नाम जमाबन्दी अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त कथन वादी का सत्य है। वाद पत्र के पैरा सँख्या 2 में ग्राम कालानाडा के ख.न.601 संवत 2027 तथा वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में मिलान करने पर अंतर है। ख.न.601 के उत्तरी

सीमा जो ख.न.410. से लगायत रही है कि पूर्वी हिस्से में ख.न.601 का डूंगर का आकार में उभार लिये संवत 2027 के नक्शे के अनुसार थी परन्तु सेग्रीगेशन के नक्शे में उक्त ख.न.601 की उत्तरी सीमा को सीधा कर दिया गया है जिससे ख.न.601 का कुछ हिस्सा ख.न.401 में चला गया है। जो गलत दर्ज हुआ है। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत पुनः मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.7.2025 के अनुसार पूर्व में हुई नक्शा त्रुटि से वर्तमान नक्शे में ग्राम कालानाडा के खसरा नं0 601 का रकबा 0.0328 हैक्टेयर रकबा कम हुआ है । वर्तमान नक्शे मेंख0नं0 601 में से कम हुआ रकवा (0.0328 है0) खसरा नं0 410 (बंजर 2) से जुडा हुआ है जिसकी वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा संलग्न है । तथा वर्तमान नक्शे में ख0नं0 601 के रकबे को दुरूस्त करने हेतु ख0नं0 410 का 0.0328 हैक्टेयर रकबा ख0नं0 601 में जोडा जाना उचित है । उक्त सभी परिवर्तन नक्शे में किये जाने है जबकि वर्तमान जमाबंदी में ख0नं0 601 के क्षेत्रफल में कोई त्रुटि नही है । अतः न्यायालय से निवेदन है कि मोमिया शीट सम्वत 2027 के अनुसार सेग्रीकेशन में शुद्धि किया जाना उचित है।

3 हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अराई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वादअधीन भूमि ग्राम कालानाडा तहसील अरांई के खसरा संख्या 601 में सम्वत 2027 मोमिया शीट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करें तथा तरमीम दुरूस्ती के पश्चात् खसरा संख्या 601 में रकबा शुद्धि का अंकन पूर्वरिकार्डानुसार करें। तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार नक्शें में दुरूस्ती की जायेगी। नक्शे में दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)